कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद – गोरखपुर

पत्रांक– सी0एफ0ओ0– निरीक्षण(स्कूल)/2019–20 दिनांक – जुलाई, 23 2019

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
सरस्वती विद्या मंदिर मंहिला महाविद्यालय
आर्यनगर (उत्तरी), गोरखपुर

विषय :– सरस्वती विद्या मंदिर मंहिला महाविद्यालय, आर्यनगर (उत्तरी), गोरखपुर जनपद– गोरखपुर, भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का उपलब्धता/कियाशीलता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:–

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 15.07.2019 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन/जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो वस्तुस्थिति निम्नवत पायी गयी:–

1– विद्यालय भवन तक अग्निशमन के वाहन आवागमन कर अग्निशमन का कार्य सम्पादित कर सकते है।
2– विद्यालय भवन में समुचित पलायन मार्ग विद्यामान है।
3– विद्यालय भवन में एम0सी0बी0/ई0एल0सी0बी0 का प्राविधान किया गया है।
4– विद्यालय भवन में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायीं गयी।
5– विद्यालय भवन में अन्य अग्निशमन व्यवस्था नेशनल बिल्डिग कोड के पार्ट – 4 के मानक के अनुरुप वाछंनीय है।
6– विद्यालय भवन में नियुक्त स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों को संचालित किये जाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
7– आवेदक द्वारा अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण शुल्क चालान संख्या– G040048 दिनांक 22.07.2019 के द्वारा मु0 धनराशि–100/– निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जा चुकी है।

अतः प्रस्तावित/स्थापित अग्निशमन व्यवस्था भवन में उपलब्ध कार्यशील दशा में बनाये रखना एवं एन0बी0सी0के शैक्षणिक भवन के मानक को पूर्ण करने तथा दिये गये निर्देशों का पालन करना, तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर नवीनीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करना, सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है जो निर्गत तिथि से 01(एक) वर्ष तक वैद्य माना जायेगा। अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा में यह निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

23/07/19
(डी0के0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद–गोरखपुर